नहरों के किनारे पौधरोपण के प्रावधान का नहीं हुआ पालन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 26 जून। जल संसाधन की किसी भी मुख्य नहर या वितरिका नहर में समान्तर पौधरोपण नहीं किया जाता। किसी भी नहर में पौधरोपण किया ही नहीं गया।

जिले की नहरों की जांच हो जाय तो पता चलेगा कि किसी भी नहर के किनारे पौधरोपण नहीं किया गया। जबकि पौधरोपण के नाम पर लाखों का भुगतान संबंधित ठेकेदारों को किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जल संसाधन विभाग में पौधरोपण के नाम पर बड़ा खेल किया गया है। किन्तु आज तक इस मामले में न तो विभाग ने कोई कार्रवाई की और न ही शासन स्तर से ही कभी कोई जांच पड़ताल या कार्रवाई की गई है। जबकि इस मामले में सीएजी ने भी कई बार आपत्ति उठाया था। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि 90 प्रतिशत से अधिक नहरों के किनारे पौधरोपण ठेकेदारों द्वारा नहीं किया गया है। बताया गया है कि जल संसाधन विभाग में ठेकेदारों के अनुबंधों में इस बात का प्रावधान किया गया था कि ठेकेदार मुख्य नहरों एवं वितरक नहरों के समान्तर दोनों ओर 30 मीटर के अंतराल में छायादार वृक्षों का रोपण करेगा।

वह समस्त पौधों के लिये कैटल गार्ड की भी व्यवस्था करेगा। आवश्यक उर्वरक प्रदान करेगा, रोपित पौधों को प्रतिदिन पानी देने की व्यवस्था करेगा एवं रोपित किये गये पौधों जीवित रखना होगा। यदि कोई पौधा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है तो ठेकेदार को उसे नये पौधे में बदलना होगा। रोपित किये गये पौधों को ठेके की त्रुटि दायित्व अवधि तक संधारित करना होगा। ठेकेदार की ठेका लागत में ऐसे सभी मद शामिल होंगे। इसका मतलब है कि ठेकेदारों के ठेकों में पौधरोपण एवं उसमें होने वाले समस्त प्रकार के व्यय की राशि शामिल की गई। किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि किसी भी ठेकेदार ने नहरों के निर्माण के दौरान उनके दोनो तरफतीस मीटर के दायरे में पौधरोपण करवाया ही नहीं। जबकि करोड़ों की राशियों का उन्हें पौधरोपण के नाम पर भुगतान किया जाता रहा।

आये दिन होती है घटनायें

आये दिन देखा जाता है कि नहरों के आसपास घटनायें हो रही है। नहरों मे डूबने से मौते हो रही है। कई घटनायें अब तक नहरों में डूबने से हो चुकी है। पता नहीं आगे और कितनी ऐसी घटनाये होती रहेंगी। खुली नहरों के आसपास लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, कोई फ्सिल कर नहर में समा जाता है तो कोई अन्य किसी कारण से। यदि नहरों के आसपास पौधरोपण किया गया होता तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। क्योकि पौधरोपण होने से आसानी से कोई व्यक्ति नहरों के करीब नहीं पहुंच पाता।

किसी भी ठेकेदार ने नहीं किया पौधरोपण का कार्य

कैग की रिपोर्ट बताती है कि जहां 90 प्रतिशत नहरों का कार्य पूर्ण कर लिया गया वहां किसी भी ठेकेदार ने नहरों के आसपास पौधरोपण का कार्य किया ही नहीं। शासन से इस संबंध में निर्देश भी हुये किन्तु संबंधित संभागों के कार्यपालन यंत्रियों की मिलीभगत के चलते पौधरोपण के कार्य नहीं करवाये गये। इस तरह की कमियों के कारण ठेकेदारों को पूर्णता प्रमाण जारी नहीं किया जाना चाहिये। किन्तु सक्षम अधिकारियों ने ठेकेदारों को पूर्णता प्रमाण भी जारी कर दिया। इस तरह से समझा जा सकता है कि जहां एक तरफनहरों के निर्माण में करोड़ो अरबों रूपये विभिन्न परियोजनाओं में व्यय हुये। जहां नहरों के ठेकों में पौधरोपण के लिये आवश्यक राशि का भी प्रावधान किया गया हो वहां कागजों में खानापूर्ति कर राशि खर्च कर दी जाय तो इसे क्या कहा जा सकता है।

बड़े जैन मंदिर में मिली पुरानी पांडुलिपियाँ और माड़ना

नवभारत न्यूज

पन्ना, 26 जून। भारत सरकार के ज्ञान भारतम कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में प्राचीन पांडुलिपियों को खोजने का कार्य किया जा रहा है, ताकि इन्हें विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। साथ ही इन पांडुलिपियों का डिजिटाईजेशन कर शोधार्थियों, अध्ययनकर्ताओं आदि को सहजता से उपलब्ध कराया जा सके।

इसी कार्यक्रम के अंतर्गत समिति के सदस्य आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय और धर्मार्थ शाखा प्रभारी मनोज पाण्डेय पन्ना शहर के धाम मोहल्ले में स्थित प्राचीन पार्श्वनाथ दिगंबर बड़ा जैन मन्दिर पहुंचे। जहां मंदिर समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जैन और अभिषेक जैन के सहयोग से प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की पांडुलिपियों का अवलोकन किया। मौके पर ज्ञान भारतम मोबाइल एप पर स्कैन कर अपलोड किया। इन ग्रंथों में कई प्रकार के विधान, पुराण और पूजा संबंधी महत्वपूर्ण ग्रन्थ आदि है। इन्हीं ग्रंथों में एक प्राचीन कपड़े पर बना माड़ना तेरह दीप का मानचित्र भी मिला है।

पन्ना कलेक्टर ऊषा परमार द्वारा अपील की गई है, जिन नागरिकों, परिवार या संस्थाओं के पास प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां है, वो भी ज्ञान भारतम मोबाइल एप पर स्वयं भी प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां अपलोड कर सकते है। प्रत्येक पांडुलिपि के कम से कम तीन पेज की फोटो खींच कर अपलोड करना है।

सेफक्लिक के तहत बैंकिंग एवं वित्तीय सुरक्षा पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 26 जून। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे साइबर सुरक्षा जन-जागरूकता अभियान सेफक्लिक 2026 2.0 के तीसरे दिन पन्ना जिले में एक वृहद जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के कुशल निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सुरक्षा विषय को केंद्र में रखकर नागरिकों को जागरूक किया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को डिजिटल लेन-देन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराना और उन्हें साइबर ठगों के चंगुल से बचाना है। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों ने सक्रियता दिखाते हुए विभिन्न बैंक शाखाओं, एटीएम, डाकघरों, कॉमन सर्विस सेंटर, स्थानीय बाजारों और अन्य व्यस्त सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। पुलिस बल ने नागरिकों को आजकल तेजी से पैर पसार रहे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी केवाईसी अपडेट के नाम पर होने वाले धोखे, यूपीआई फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैम और ऑनलाइन निवेश के नाम पर दिए जाने वाले भारी मुनाफे के लालच जैसी आधुनिक साइबर ठगी के तरीकों के बारे में विस्तार से समझाया।

नागरिकों को कड़ी हिदायत दी गई कि वे किसी भी अज्ञात या संदिग्ध व्यक्ति के बहकावे में आकर अपने बैंक खाते की गोपनीय जानकारी जैसे ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या सीव्हीव्ही नंबर भूलकर भी साझा न करें। इसके साथ ही बिना किसी प्रामाणिक सत्यापन के किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज, ई-मेल या अनजान लिंक पर भरोसा न करने की सलाह दी गई।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि लालच या डर दिखाकर पैसे ऐंठने वाले साइबर अपराधियों से हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई कि यदि कोई व्यक्ति किसी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, तो उसे बिना कोई समय गंवाए तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करना चाहिए या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। समय पर दी गई सूचना से ठगी गई धनराशि को होल्ड कराकर सुरक्षित करने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों में हुई व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 26 जून। सहकारिता विभाग में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों के क्रिया कलाप नियमों के अनुसार संचालित नहीं हुये। पंजीयन के बाद इन समितियों ने निहित उद्येश्यों के अनुसार कार्य नहीं किया।

इस तरह की समितियो में भाई भतीजावाद जमकर चला। यही कारण है कि ऐसी कई समितियां जहां विवादों के घेरे में आई वहीं उनके विवादों का सही तरीके से निराकरण भी नहीं हो पाया। आज भी कई लोग लाभ से वंचित हैं वहीं कई ऐसे लोग लाभ पाने में सफल हो गये जो वास्तव में पात्र ही नहीं थे।

अभिलेखों में भी गोलमालः- यह भी पता चलता है कि गृह निर्माण समितियों में जहां जितना अधिक गोलमाल हुआ वहां के अभिलेखों में भी लीपापोती हुई। कई समितियों में सदस्यता पंजियों के अभिलेखों को भी साजिस के तहत गायब कर दिया गया। ताकि अपने खास लोगों को लाभ दिया जा सके। वहीं समितियों की नियमित बैठकों से लेकर लिये जाने वाले निर्णयों में भी भारी पैमाने पर मनमानी की गई। जो भी व्यक्ति पदाधिकारी बना वह अपने गिरोह की तरह समितियों को संचालित करता रहा। यही कारण है कि पात्र सदस्यों को लाभ से वंचित किया गया।

लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे से नहीं चेता प्रशासन

नियमों को ठेंगा दिखा रहे शहर के अपंजीकृत कोचिंग संस्थान

नवभारत न्यूज

पन्ना, 26 जून। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में सोमवार को लगी भीषण आग में 15 विद्यार्थियों की मौत के बाद पन्ना में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर में आधा सैकड़ा कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सुरक्षा मानकों को पूरा नही करते और न ही पंजीकृत हैं। बाकी संस्थान छात्रों की जान जोखिम में डालकर कारोबार चला रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि लगभग सभी कोचिंग सेंटरों के पास न तो अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) है और न ही भवन सुरक्षा संबंधी आवश्यक अनुमति। इसके बावजूद इन संस्थानों में रोजाना हजारों छात्र पढ़ाई करने पहुंच रहे हैं। आग या किसी अन्य आपदा की स्थिति में बचाव के पर्याप्त इंतजाम न होने से बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है।

कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए अग्निशमन विभाग और विकास प्राधिकरण की एनओसी अनिवार्य है। अग्नि सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग और भवन मानकों की जांच के बाद ही संबंधित विभाग अनुमति जारी करते हैं। लेकिन जिले में अधिकांश कोचिंग संचालकों ने इन नियमों को दरकिनार कर रखा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नियम स्पष्ट हैं और बिना पंजीकरण संस्थान संचालित नहीं किए जा सकते, तो फिर दर्जनों कोचिंग सेंटर खुलेआम कैसे चल रहे हैं। जिम्मेदार विभागों की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। न तो नियमित निरीक्षण हो रहे हैं और न ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। बावजूद, जमीनी स्तर पर नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। लखनऊ की त्रासदी ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। पन्ना में भी यदि समय रहते बिना पंजीकरण और बिना सुरक्षा मानकों वाले कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो किसी दिन यहां भी बड़ा हादसा प्रशासनिक दावों की पोल खोल सकता है।

मातमी पर्व मुहर्रम परंपरागत तरीके से मनाया गया

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 26 जून। अजयगढ मातमी पर्व मुहर्रम अजयगढ़ में परंपरागत तरीके से मनाया गया। मोहर्रम की 9 तारीख बृहस्पतिवार के दिन पुराने महलों में रात को अलाव खेला गया।

अकीदत बंदों ने आग से उछाल कर अलाव खेला गया इसके बाद मोहर्रम की 10 तारीख को सभी इमामबाड़ों से ताजिया बुराक नाल ढाल नेजा के साथ शाम को हजरत रमजान शाह बाबा की मजार में एकत्रित हुए वहां से चल जुलूस प्रारंभ हुआ जो जयस्तंभ पुराना बस स्टैंड पुरानी कोतवाली बुद्धु चौराहा पुरानी तहसील पुराने महलों खोह मोहल्ला से होते हुए सिकलीगर मोहल्ला से होते हुए जामा मस्जिद अजयगढ़ में फातिहा के साथ समाप्त हुआ। जुलूस में जगह-जगह लंगर का इंतजाम किया गया था जिसमें खाने की चीज पानी शरबत आदि का इंतजाम किया गया था।

बुद्धू चौराहा में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आलू बंडा का लंगर जो लोगों की विशेष रुचि रहती है जो काफी पुराना लंगर चला आ रहा है जहां पर काफी भीड़ देखी गई। मोहर्रम के जुलूस में तहसीलदार सुरेंद्र कुमार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की हैसियत से राजस्व अमले के साथ मौजूद रहे एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना प्रभारी हरि सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जामा मस्जिद में पहुंचकर जुलूस समाप्त हुआ इसके बाद एक्सचेंज ऑफिस के सामने बने कर्बला में ताजियों को दफनाया गया।

बारिश में कैद हो जाएगी जंगल की चौकियां

गश्त एवं रेस्क्यू पर बढ़ सकता है संकट

नवभारत न्यूज

पन्ना, 26 जून। जहां वन विभाग पौधरोपण और वन्यजीव संरक्षण की तैयारियों में जुटा है, वहीं जंगलों की निगरानी व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिले के कई वन बीट मुख्यालय और चौकियां आज भी कच्चे रास्तों के सहारे संचालित हो रहे हैं।

हर साल बारिश के दौरान इन रास्तों पर कीचड़ और नालों में उफान आने से संपर्क टूट जाता है। ऐसे में जंगल की सुरक्षा, वन्यजीव निगरानी और रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। पन्ना के उत्तर एवं दक्षिण वन मंडलों के अंतर्गत कई बीट मुख्यालय ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां पहुंचने के लिए कर्मचारियों को कच्चे रास्तों और मौसमी नालों से होकर गुजरना पड़ता है। सामान्य दिनों में तो किसी तरह आवागमन हो जाता है, लेकिन लगातार बारिश के बाद कई मार्ग वाहन चलने लायक नहीं रहते। वाहन न चलने का नतीजा यह होता है कि वनकर्मियों की गश्त सीमित हो जाती है और कई चौकियां दिनों तक मुख्यालय से कट जाती हैं।

अवैध गतिविधियों पर निगरानी की चुनौती - वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, शिकार और खनन जैसी गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी वन विभाग की है। स्थानीय जानकारों का कहना है कि जब बारिश के कारण गश्ती दलों की आवाजाही प्रभावित होती है तो असामाजिक तत्व सक्रिय होने की आशंका बढ़ जाती है। वनकर्मी भी खराब रास्तों के कारण समय पर घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाते।

चौकियां हैं, लेकिन सुविधाएं अधूरी - जिले की कई वन चौकियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी चुनौती बना हुआ है। कुछ स्थानों पर बिजली, संचार और आवागमन की सुविधाएं सीमित हैं। बारिश के मौसम में मोबाइल नेटवर्क और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने पर स्थिति और कठिन हो जाती है। ऐसे में आपात सूचना का आदान-प्रदान भी प्रभावित होता है। वन विभाग हर वर्ष मानसून से पहले तैयारियों का दावा करता है लेकिन जमीनी स्तर पर कच्चे रास्तों और संपर्क मार्गों की समस्या जस की तस बनी हुई है। सवाल यह है कि जब वन्यजीव संरक्षण, पौधरोपण और जंगल सुरक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो उन चौकियों तक पहुंचने वाले रास्ते अब तक पक्के क्यों नहीं हो सके जो पूरे वन प्रबंधन तंत्र की पहली कड़ी हैं। मानसून शुरू होने से पहले यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले चार महीनों में जंगलों की सुरक्षा का पूरा दारोमदार इन्हीं चौकियों और बीट मुख्यालयों पर रहने वालों पर है। यदि चौकियां ही बारिश में कैद हो गईं, तो जंगलों की निगरानी कितनी प्रभावी रह पाएगी यह बड़ा प्रश्न है?

पौधरोपण के मौसम में बढ़ जाती है जिम्मेदारी

वन विभाग के लिए मानसून सबसे व्यस्त समय माना जाता है। इसी दौरान बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जाता है। पौधों की सुरक्षा, निगरानी और रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी मौसम में बढ़ जाती है। इस बार 21 लाख पौधों के रोपण की तैयारी की गई है। दूसरी ओर बारिश के कारण वन्यजीवों की गतिविधियां भी बढ़ती हैं और सांप, गोह समेत अन्य जीव आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंचने लगते हैं।

केन-बेतवा परियोजना के विस्थापित परिवार सुविधाओं के आभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर

नवभारत न्यूज

पन्ना, 26 जून। देश की पहली नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना केन-बेतवा लिंक परियोजना को बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली योजना बताया जा रहा है।

केंद्र और राज्य सरकार इसे सिंचाई, पेयजल और विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक परियोजना मान रही हैं। लेकिन दूसरी ओर इस महत्वाकांक्षी योजना से प्रभावित और विस्थापित परिवारों की स्थिति प्रशासनिक दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। करोड़ों रुपये के मुआवजे और पुनर्वास पैकेज के बावजूद सैकड़ों लोग आज भी स्थायी पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गौरतलब है कि केन-बेतवा परियोजना के तहत पन्ना जिले के गहदरा, कटहरी, बिलहटा, मझौली, कोनी, डोंडी, खमरी, कुडन् और मरहा गांव प्रत्यक्ष प्रभावित न होते हुए भी परियोजना की भेंट चढ़ गए। परियोजना के लिए पन्ना जिले में 915.685 हेक्टेयर शास. भूमि और 693.859 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित कर वन विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार 644 भू-स्वामियों को भूमि अधिग्रहण के एवज में 92 करोड़ 98 लाख 55 हजार 687 रु. की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 83 करोड़ 29 लाख 30 हजार 743 रु. राशि का भुगतान किया जा चुका है। पूरक प्रस्तावों के तहत 1291 हितग्राहियों को 65 करोड़ 5 लाख 65 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के तहत प्रभावित परिवारों को 12.50 लाख रुपये प्रति परिवार पुनर्वास पैकेज दिया गया। प्रशासन के अनुसार 1231 परिवारों के लिए 153 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत किए गए। लेकिन विस्थापितों का कहना है कि केवल एकमुश्त राशि देकर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली।

पटी कल्याणपुर में बसाए गए 64 परिवार

पन्ना शहर से लगे पटी कल्याणपुर क्षेत्र में कोनी और अन्य प्रभावित गांवों के करीब 64 परिवारों को शासकीय भूमि पर बसाया गया है। यहां प्रशासन ने 30 बाई 50 फीट के प्लॉट चिन्हित कर दिए हैं, लेकिन परिवारों को जमीन के वैधानिक पट्टे नहीं मिले हैं। स्थिति यह है कि लोग तिरपाल, टीन और घास-फूस के अस्थायी घर बनाकर रहने को मजबूर हैं। बरसात का मौसम सिर पर है, लेकिन अधिकांश परिवारों के पास सुरक्षित आवास नहीं है। पुनर्वास स्थल पर न पक्की सड़क है, न बिजली की व्यवस्था और न ही पर्याप्त पेयजल सुविधा।

कलेक्टर को जारी राज्य शिक्षा केन्द्र की गाईडलाईन बेअसर

नवभारत न्यूज

पन्ना, 26 जून। राज्य शिक्षा केन्द्र ने वर्ष 2024-25 की जारी गाईडलाईन में भी कस्तूरबागांधी बालिक विद्यालय एवं नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावासों में कई वर्षों से पदस्थ वार्डनों को हटाने के लिये निर्देशित किया था।

जारी पत्र क्रमांक राशिके/एसजीयू/2024/3667 भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2024 में सभी जिलों के कलेक्टरों को संबोधित करते हुये छात्रावासों के संचालन के संबंध में व्यापक प्रकाश डाला गया था। जहां पैरा 4.2 एवं 4.3 में तीन साल पूर्ण करने वाली एवं पांच वर्षों से अधिक समय से पदस्थ वार्डनों को पद से तत्काल पृथक करने की कार्यवाही किये जाने को कहा गया था। किन्तु जिला कलेक्टर तक या तो यह पत्र पहुंचा ही नहीं अथवा कलेक्टर को गुमराह किया गया। इसलिये अभी तक ऐसे वार्डनों को नहीं हटाया गया।

क्या कहता है पैरा 4.2 एवं 4.3 - राज्य शिक्षा केन्द्र से जारी दिशा निर्देश 2024-25 के अनुसार पैरा 4.2 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र. /एसजीयू/2017/5881, भोपाल दिनांक 11 जून 2017 के अनुसार तीन वर्ष पूर्ण करने वाली वार्डन को वार्डन के पद से तत्काल पृथक करने की कार्रवाई की जाय। वहीं पैरा 4.3 कहता है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक राशिके/एसजीयू/टीआई/2019/8067 दिनांक 17 दिसंबर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार छात्रावासों में संविदा पर पदस्थ सहायक वार्डनों को एक ही स्थान पर 5 वर्ष से अधिक हो गये हैं, उन्हें जिले के अंदर पदस्थापना परिवर्तन जिला नियुक्ति समिति के माध्यम से की जाय। दिशा निर्देश के ये दोनो पैरा से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य शिक्षा केन्द्र वार्डन एवं सहायक वार्डन दोनों को हटाने का निर्देश दे रहा है। इसके बाद भी जिला स्तर से कोई कार्रवाई नही हो रही है।

प्रति छात्रावास प्रतिवर्ष 60-70 लाख का बजट हजम- इन छात्रावासों में बताया जाता है कि प्रतिवर्ष 60-70 लाख का बजट आ रहा है और खर्च हो रहा है। किन्तु वहां न तो सही सलामत स्थिति में पलंग मिलेंगे, न रजाई गद्दे और न ही कोई अन्य सामग्री। भवन भी यदि उठ जाता वह भी गायब हो जाता किन्तु वह उठ नहीं सकता।

राज्य शिक्षा केन्द्र क्या केवल निर्देश ही जारी करता रहेगा?

यहां सवाल तो यह भी है कि क्या राज्य शिक्षा केन्द्र कस्तूरबागांधी बालिका छात्रावासों एवं विद्यालयों को लेकर केवल दिशा निर्देश ही जारी करता रहेगा। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह भी देखे कि जो आदेश या निर्देश जारी किये गये हैं उनका कितना पालन हो रहा है। छात्रावासों के वार्डनों को हटाने के लिये जो आदेश 2017 में जारी हुये उनका कितना पालन हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? जिलों में पदस्थ विभागीय अधिकारियों ने क्या किया? आदेश के परिपालन में कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नगायच का हुआ ऐतिहासिक स्वागत

नवभारत न्यूज

पवई 26 जून। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगभग दो माह पूर्व मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किए गए पन्ना जिले के पवई निवासी एवं तीन दशक से भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता संजय नगायच का शुक्रवार को पहली बार गृह नगर पवई आगमन ऐतिहासिक रहा।

पन्ना से पवई तक के पूरे मार्ग में भाजपा कार्यकर्ताओंए व्यापारियोंए किसानों और स्थानीय नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह.जगह पुष्पवर्षाए फूल.मालाओं से अभिनंदनए तुलादान और आतिशबाजी के बीच उनका काफिला आगे बढ़ा।

पन्ना से ककरहटीए गुनौरए अमानगंजए टेढ़ीधारए चौमुखाए मुराछ होते हुए जैसे ही उनका काफिला पवई पहुंचाए लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ष्भारतीय जनता पार्टी जिंदाबादष् और ष्संजय नगायच जिंदाबादष् के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। नगर में नन्ही पवईए करही तिराहाए मिलौनीगंजए विवेकानंद चौकए बस स्टैंड और झंडा बाजार सहित कई स्थानों पर स्वागत समारोह आयोजित किए गए। इसके बाद वे माता कलेही मंदिर पहुंचेए जहां उन्होंने मां के दर्शन कर प्रदेश और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की।

ढोल.नगाड़ों, पुष्पवर्षा और महिलाओं की आरती से हुआ स्वागत-नन्ही पवई से लेकर बस स्टैंड तक ढोल.नगाड़ों और बैंड.बाजों की धुन पर कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कई स्थानों पर महिलाओं ने आरती उतारकर तिलक लगायाए जबकि युवाओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। जगह.जगह तुलादान एवं पुष्पमालाओं से उनका अभिनंदन किया गया।

बड़ी संख्या में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि व नागरिक- स्वागत कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधिए भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताए व्यापार मंडल के सदस्यए वेयरहाउस विभाग के अधिकारीए किसान तथा बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। सभी ने नव नियुक्त अध्यक्ष का अभिनंदन करते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। अध्यक्ष बनने के बाद संजय नगायच की बुंदेलखंड क्षेत्र की यह पहली यात्रा रहीए जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

पहली यात्रा, बड़ा संदेश- अध्यक्ष बनने के बाद संजय नगर की यह पहले बुंदेलखंड क्षेत्र की यात्रा है उनके दौरे से क्षेत्र की वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद जगी है।

किसानों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता : संजय

स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष संजय नगायच ने कहा कि पन्ना जिला कृषि एवं लॉजिस्टिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि वेयरहाउसिंग सुविधाओं का विस्तारए भंडारण क्षमता में वृद्धि और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहाए ष्किसानों की उपज का एक .एक दाना सुरक्षित रहेए यही हमारा संकल्प है।

In The Court of II District And Additional Session Judge, District Court, Satna
Presiding Officer : श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)

(MCA/0000005/2025)

अम्बिका प्रसाद पाण्डेय ....वादी

Vs

लखन लाल पाण्डेय ..... प्रतिवादी

Process Id-111/2026 पेशी दिनांक:-27.07.2026

प्रेषिती-

(1) सुरेश प्रसाद त्रिवेदी तनय स्व.रामप्रसाद त्रिवेदी पता-इन्द्रप्रस्थ पन्ना तहसील पन्ना जिला पन्ना म.प्र.

यह कि प्रार्थी अम्बिका प्रसाद पाण्डेय ने आपके विरूद्ध एमसीए के लिये वाद संस्थित किया है .आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें . आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें . आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा . साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 25 जून 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है .

न्यायालय की मुद्रा

(सुबोध कुमार विश्वकर्मा)
द्वितीय जिला न्यायाधीश, सतना
जिला सतना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा